WTO में, चीन ने अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के आरोप को किया खारिज़

चर्चा में क्यों?

चीन ने विश्व व्यापार संगठन (WTO) के विवाद निस्तारण तंत्र को सूचित किया है कि चीन में व्यापार करने की कीमत के रूप में कंपनियों के लिये प्रौद्योगिकी हस्तांतरण को अनिवार्य बनाने के संबंध में अमेरिका द्वारा लगाए गए आरोप आधारहीन हैं।

क्या है मामला?

- अमेरिका ने ये आरोप लगाते हुए कि चीन अमेरिका के विचारों की चोरी कर रहा है, चाईनीज वस्तुओं पर 50 बिलियन डॉलर का सीमा शुल्क दंड के रूप में आरोपित किया था।
- इसके जवाब में बीजिंग ने भी अपने कुछ सबसे बड़े अमेरिकी आयात पर टैरिफ (सीमा शुल्क) लगाने की धमकी दी थी।
- दोनों ही पक्ष इस साल की शुरुआत में इस मुद्दे को लेकर डब्ल्यूटीओ में कानूनी शिकायत करने में शामिल थे।
- चीन का कहना है कि वहाँ कोई अनिवार्य प्रौद्योगिकी हस्तांतरण नहीं है।
- कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि वाशिंगटन को अपने टैरिफ लागू करने के लिये WTO के समर्थन की आवश्यकता है।
- जबकि चीन ने इस योजना को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया है तथा इसे रोकने के लिये WTO से कार्रवाई करने की माँग की है।

अमेरिका तथा चीन का अलग-अलग दृष्टिकोण

- अमेरिका का दृष्टिकोण यह है कि चीन ने अमेरिकी कंपनियों को संयुक्त उद्यम आवश्यकताओं, विदेशी इक्विटी सीमाओं और प्रशासनिक लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को लागू करके प्रौद्योगिकियों को स्थानांतरित करने के लिये मजबूर किया है।
- लेकिन चीन का कहना है कि इन नियामक मानदंडों में किसी प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की आवश्यकता नहीं है।
- चीन के अनुसार, अमेरिकी तर्क में "अपराध की धारणा" शामिल है।
- जबकि दूसरी ओर अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों का मानना है कि चीन में अमेरिकी फर्मों को प्रौद्योगिकी को सौंपना अनिवार्य था, लेकिन अमेरिका इस संबंध में कोई साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।
- चीन का कहना है कि अमेरिका के कुछ दावे 'शुद्ध कल्पनाएँ' थीं तथा USTR (United States Trade Representative) ने चीन की M&A (Mergers and Acquisitions) गतिविधि को सरकार के षड्यंत्र के रूप में देखा।
- चीन का मानना है कि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एक सामान्य प्रक्रिया थी जिससे सबसे अधिक लाभ अमेरिका को ही हुआ है जबकि चीनी नवाचार 'लोगों के परिश्रम और उद्यमिता, शिक्षा तथा अनुसंधान में निवेश तथा बौद्धिक संपदा को सुरक्षित करने वाले प्रयासों में सुधार' द्वारा संचालित किया जाता है।

WTO नियम क्या कहते हैं?

- WTO के नियमों के अंतर्गत, यदि 60 दिनों के बाद भी विवाद का निपटारा नहीं हो पाता है तो शिकायतकर्त्ता विशेषज्ञों के एक पैनल से ऐसे विवाद जिसके निपटान में कई वर्ष का समय लग सकता है, का निर्णय शीघ्र करने, विवाद को आगे बढ़ाने और कानूनी मामले को सुलझाने के लिये कह सकता है।

अमेरिका-चीन व्यापार के लिये भविष्य की राह

- जबसे यह विवाद उत्पन्न हुआ है, अमेरिका-चीन व्यापार नीति उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्त्ता का विषय रही है।
- अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा ट्वीट भी किया था कि "हमारे व्यापार समझौते अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं" लेकिन शायद इसे "अलग संरचना" की आवश्यकता है।

प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (technology transfer)

- किसी वैज्ञानिक अनुसंधान के व्यावहारिक उपयोग के बारे में सोचना तथा उस उपयोग को साकार करने के लिये आवश्यक सभी जानकारियों तथा प्रशिक्षण को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को उपलब्ध कराना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण कहलाता है।
- इसका उद्देश्य यह होता है कि कोई अन्य व्यक्ति इस प्रौद्योगिकी के साथ अपनी पूंजी तथा अन्य संसाधनों का प्रयोग कर इस प्रौद्योगिकी का

व्यावसायकि उपयोग करे।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/china-rejects-us-charge-of-forced-technology-transfer-at-wto